न्यायालय– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी	:	**मीना गहलोत, आर.जे.एस.**
नम्बरी फौजदारी संख्या	:	102/2019
सी.आई.एस. नं०	:	102/2019
सी.एन.आर.नं.	:	RJSG180001752019

कृष्णलाल पुत्र लक्ष्मीचंद, निवासी–बनवाली, तहसील–सादुलशहर, जिला–श्रीगंगानगर।

––परिवादी

बनाम

मनीराम पुत्र गणपतराम, निवासी–बनवाली, तहसील–सादुलशहर, जिला–श्रीगंगानगर।

–– अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम

उपस्थिति :–

1– परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कुंदन लाल चुघ।

2– अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रविन्द्र मोदी।

:: **निर्णय** :: **दिनांक :–27.04.2026**

01– परिवादी कृष्णलाल द्वारा अभियुक्त मनीराम के विरुद्ध एक परिवाद अंतर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट के तहत इस न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि परिवादी की अभियुक्त क साथ अच्छी जान–पहचान है। अभियुक्त ने परिवादी से नकद राशि उधार ली थी, जिसकी अदायगी बाबत् कहा गया तो अभियुक्त् ने उधार ली गई राशि की अदायगी हेतु एक चैक संख्या 806396, दिनांक 15.03.2018, का 80,000/–रुपए का पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा–बनवाली का अपने हस्ताक्षर सहित परिवादी को सुपुर्द किया। उक्त चैक को अंदर मियाद परिवादी ने अपने खाते वाले बैंक भारतीय स्टेट बैंक, शाखा–बनवाली में भुगतान हेतु दिनांक 21.03.2018 को लगा दिया, जहाँ से उक्त चैक समाशोधन हेतु पंजाब एण्ड सिंध बैंक, शाखा बनवाली भेजा गया। उक्त बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक शाखा बनवाली की असल चैक व चैक वापसी ज्ञापन लौटळाते हुए यह दर्शाया कि चैक देने वाले खाते में राशि अपर्याप्त है और चैक अनादृत हो गया, जिसकी सूचना भारतीय स्टेट बैंक बनवाली ने परिवादी को दिनांक 22.03.2018 को दी। इस प्रकार अभियुक्त के द्वारा जारी किये गये उक्त चैक का भुगतान परिवादी को प्राप्त नहीं हुआ है। तत्पश्चात् भुगतान नहीं होने पर परिवादी ने जरिये

अधिवक्ता एक पंजीकृत नोटिस दिनांक 18.04.2018 को उपरोक्त तथ्यों को अंकित करते हुए अभियुक्त के सही पते पर भिजवाया, जो अभियुक्त को दिनांक 21.04.2018 को प्राप्त हो गया। इसके उपरान्त अभियुक्त ने नियत अवधि में परिवादी को चैक की राशि का भुगतान नहीं किया। इस प्रकार अभियुक्त का उक्त कृत्य धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है, जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही कर उसके कृत्य की सजा दिलाई जाने एवं चैककृत राशि व नियमानुसार क्षतिपूर्ति दिलवाई जाने का निवेदन किया।

02- न्यायालय द्वारा उक्त परिवाद पर बाद सुनवाई दिनांक 18.02.2019 को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया एवं अभियुक्त के उपस्थित आने पर उसे उक्त धारा के अपराध का आरोप मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया जिसे सुन-समझकर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

03- परिवादी पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य स्वरूप पी.डब्ल्यू.1 कृष्णलाल की साक्ष्य लेखबद्ध करवायी गई तथा प्रलेखीय साक्ष्य स्वरूप असल चैक प्रदर्श पी. 01, वापसी ज्ञापन एसबीआई प्रदर्श पी. 02, वापसी ज्ञापन पंजाब एण्ड सिंध बैंक प्रदर्श पी. 03, नकल नोटिस प्रदर्श पी. 04, असल डाक रसीद प्रदर्श पी. 05 व प्राप्ति ए.डी. प्रदर्श पी.06 पेश कर प्रदर्शित करवाए गए।

04- अभियुक्त के बयान मुल्जिम अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.स. में लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त ने परिवादी साक्ष्य को गलत बताते हुये कथन किया कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है एवं साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा, तत्पश्चात् किसी प्रकार की कोई साक्ष्य सफाई पेश नहीं की गई, जिस पर साक्ष्य सफाई का अवसर बंद किया गया।

05- बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रकरण में न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दू यह है किः-

> **"क्या अभियुक्त द्वारा परिवादी से उधार ली गई राशि के विधिक दायित्व के भुगतान पेटे पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा-बनवाली, जिला-श्रीगंगानगर का एक चैक संख्या 806396, दिनांकित 15.03.2018, राशि 80,000/- रूपये का**

दिया, जिसे भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत करने पर उक्त चैक "Funds Insufficient'' की टिप्पणी के साथ अनादरित कर वापसी ज्ञापन सहित परिवादी को लौटा दिया गया जिस पर परिवादी द्वारा नियत अवधि के भीतर नोटिस दिये जाने के बावजूद भी अभियुक्त द्वारा उक्त चैक में वर्णित राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया गया? ''

यदि हाँ तो अभियुक्त को किस दण्ड से दण्डित किया जावे?

06- परिवादी अधिवक्ता द्वारा उक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में दौराने बहस तर्क रहे कि परिवादी के साथ अभियुक्त की जान-पहचान के चलते परिवादी ने अभियुक्त से प्रश्नगत चैक राशि लेनी थी, जिसके भुगतान पेटे अभियुक्त ने प्रश्नगत चैक दिया, जो भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा अनादरित कर दिया गया, जिसकी सूचना जरिये अधिवक्ता अभियुक्त को दिये जाने के बावजूद अभियुक्त ने भुगतान नहीं किया। परिवादी की प्रतिपरीक्षा में नकारात्मक साक्ष्य नहीं आई, जिससे परिवादी के कथनों का खण्डन होता हो। इस प्रकार अभियुक्त का उक्त कृत्य धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है, जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही कर उसके कृत्य की सजा दिलाई जाने का निवेदन किया।

इसके विपरित विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फसाया गया है। विधिक नोटिस की तामील अभियुक्त पर नहीं हुई है। परिवादी से अभियुक्त ने किसी प्रकार की कोई राशि उधार नहीं ली है। प्रश्नगत चैक उधार ली गई राशि की ऐवज में नहीं दिया गया था। इसलिये निवेदन है कि अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त घोषित किया जावे।

07. बहस अंतिम सुनने, पत्रावली का अवलोकन करने, प्रस्तुत माननीय न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त करने तथा संबंधित विधि का परिशीलन करने पर न्यायालय का समाधान इस प्रकार है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के तहत प्रावधानित है कि **"जब तक कि अन्यथा साबित न कर दिया जाए यह उपधारणा की जावेगी कि चैक के धारक ने वह चैक धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में निर्दिष्ट किसी ऋण अथवा दायित्व के भागतः या पूर्णतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है तथा इस धारा के प्रयोजनार्थ ऋण/दायित्व से अभिप्रायः विधितः प्रवर्तनीय ऋण अथवा दायित्व से है।**

08. **इसके अलावा धारा 118 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत चैक के सप्रतिफलार्थ होने बाबत् उपधारणा परिवादी के पक्ष में की जाती है।** " यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त उपधारणाएं खंडनीय उपधारणाएं है, जिनका कि खंडन करने का भार सदैव अभियुक्त पर रहता है। यद्यपि विधिनुसार उक्त उपधारणाएं परिवादी के पक्ष में की जाती है, तथापि उक्त उपधारणाएं न्यायालय द्वारा उसी परिस्थिति में की जा सकती है, जब परिवादी अपने पक्ष में कोई साक्ष्य अथवा सामग्री पत्रावली पर प्रस्तुत करता है। विधिनुसार उपधारणा गठित करने के लिए उपधारणा के संबंध में आवश्यक तथ्य साक्ष्य द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रकट किए जाने व साबित किए जाने जरूरी हैं। **धारा 101 भारतीय साक्ष्य अधिनियम** के प्रावधानों के अनुसार **"जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे, जो तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है, जिन्हें वह प्रख्यात करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है।"**

धारा 118. परक्राम्य लिखत के बारे में उपधारणाएं.– जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, निम्नलिखित उपधारणाएं की जाएंगीः–

(क) प्रतिफल के विषय में यह कि हर एक परक्राम्य लिखत प्रतिफलार्थ रचित या लिखी गई थी और यह कि हर ऐसी लिखत जब प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित या अन्तरित हो चुकी हो तब वह प्रतिफलार्थ, प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित या अन्तरित की गई थी;

(ख) तारीख के बारे में यह कि ऐसी हर परक्राम्य लिखत जिस पर तारीख पड़ी है, ऐसी तारीख को रचित या लिखी गई थी;

09. **धारा 139. धारक के पक्ष में उपधारणाः–** यदि तत्प्रतिकूल साबित न हो तो ऐसी उपधारणा की जाएगी कि चैक के धारक ने धारा 138 में उल्लिखित किसी ऋण या अन्य दायित्व का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निर्वाह करने के लिए चैक प्राप्त किया था। उक्त विधिक प्रावधान की रोशनी में वर्तमान मामले में परिवादी द्वारा अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा अपने मामले को साबित किया जाना था। इस संबंध में यदि परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन करें तो हस्तगत प्रकरण में परिवादी

पी.डब्ल्यू. 01 कृष्णलाल ने अपने परिवाद में वर्णित तथ्यों को ही दोहराया है।

10. उक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में सर्वप्रथम न्यायालय को यह अवधारित करना है कि क्या प्रश्नगत चैक प्रदर्श–1 पर ए से बी अभियुक्त मनीराम के हस्ताक्षर हैं? इस संबंध में स्वयं अभियुक्त द्वारा धारा 313 द.प्र.सं. के तहत कथन किए गए कि वह निर्दोष है, उसे मुकदमा में झूठा फंसाया गया है। अर्थात् प्रश्नगत चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं हो, इस सम्बन्ध में अभियुक्त की स्पष्टतः इन्कारी नहीं आई है। ऐसी दशा में यह माना जावेगा कि प्रश्नगत चैक प्रदर्श–1 पर ए से बी अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं जो उसके बैंक खाते द्वारा संधारित है और जहां चैक पर हस्ताक्षर होना साबित हो जाता है उसके संबंध में धारा 118 व 139 में उक्तानुसार उपधारणा का प्रावधान है।

11. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण में परिवादी को अभियुक्त के विरुद्ध अपने पक्ष में उपधारणा को मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से सृजित करनी थी, परंतु परिवादी की प्रतिपरीक्षा का अवलोकन करें तो परिवादी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसने नकद रुपयों की अदायगी हेतु आरोपी से हस्तगत चैक नहीं लिया था। इस संबंध में परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद व मुख्य परीक्षा स्वरूप पेश शपथ पत्र का अवलोकन करें तो उसमें परिवादी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अभियुक्त ने परिवादी से नकद राशि उधार ली थी और उधार ली गई राशि की अदायगी हेतु प्रश्नगत चैक दिया था। इस प्रकार परिवादी के मौखिक परीक्षा स्वरूप शपथ पत्र व परिवाद में किये गये कथनों के विपरीत जाते हुए अपनी प्रतिपरीक्षा में नगद रुपयों की अदायगी हेतु अभियुक्त से प्रश्नगत चैक नहीं लेने के विरोधाभासी कथन किये हैं। इसके अलावा परिवादी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किये हैं कि उसकी व आरोपी की शंभू सेठ गंगानगर के यहाँ कमेटी इक्ड्डी चलती थी। आगे यह भी स्वीकार किया कि शंभू सेठ के यहाँ कमेटी के पैसों का उनका आपसी विवाद हुआ था। उसकी कमेटी में पैसे 15 किश्तें जमा थी। आगे यह भी स्वीकार किया कि कमेटी पूर्ण होने पर संभू सेठ ने उसके पैसे रोक लिये थे, फिर पंचायती हुई थी। विरेन्द्र सरपंच बीच में पड़ा था, गांव के काफी लोग थे। कमेटी के पैसों की ऐवज में विरेन्द्र सरपंच ने बीच में पड़कर आरोपी से उसे हस्तगत चैक दिलवाया था। इस प्रकार परिवादी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में किये गये कथनों से यह भी स्पष्ट प्रकट होता है कि कमेटी के पैसों की ऐवज में विरेन्द्र सरपंच ने अभियुक्त से परिवादी को प्रश्नगत

चैक दिलवाया था, जिनसे यह तथ्य प्रकट होता है कि अभियुक्त ने परिवादी से कोई राशि उधार नहीं ली थी। परिवादी द्वारा किये गये उक्त कथनों से परिवादी द्वारा परिवाद में किये गये कथन मिथ्या प्रतीत होते हैं।

12. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादी अपनी प्रतिपरीक्षा में एक तरफ तो परिवादी द्वारा 80 हजार रुपये अपने दो-तीन दोस्तों के सामने अभियुक्त को दिया जाना बताया है, जबकि दूसरी ओर यह कथन करता है कि कमेटी के पैसों की ऐवज में विरेन्द्र सरपंच ने बीच में पड़कर अभियुक्त से प्रश्नगत चैक दिलवाया था। इस प्रकार परिवादी स्वयं अपनी प्रतिपरीक्षा में किये गये कथनों पर स्थिर नहीं रहा है, क्योंकि कभी रुपये उधार देने की ऐवज में और कभी कमेटी के पैसों की ऐवज में प्रश्नगत चैक दिये जाने के कथन परिवादी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कियें हैं। इसके अतिरिक्त परिवादी ने अभियुक्त को उधार राशि दो-तीन दोस्तों के सामने दिये जाना बताया है, किंतु उन दो-तीन दोस्तों को परिवादी ने न्यायालय में पेश कर परीक्षित नहीं करवाया है, जिससे यह साबित हो कि परिवादी ने उनके सामने अभियुक्त को 80 हजार रुपये उधार दिये हों। इस प्रकार परिवादी अपने पक्ष में उपधारणा को सृजित करने में असफल रहा है। जबकि अभियुक्त ने अपने बचाव के दौरान धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्ध अपने बयानों में यह प्रतिरक्षा ली है कि वह निर्दोष है, मुकदमा झूठा बनाया गया है। ऐसी दशा में अभियुक्त के कथनों पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार उत्पन्न नहीं होता है।

13. इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादी की पूरी प्रतिपरीक्षा में कमेटी के पैसों की ऐवज में विरेन्द्र सरपंच द्वारा अभियुक्त से प्रश्नगत चैक दिलवाया जाना बताया है। इस प्रकार परिवादी ने अपने लेनदेन का गवाह विरेन्द्र सरपंच होना और उसके कहने पर ही अभियुक्त से प्रश्नगत चैक परिवादी को देना स्वीकार किया है, परंतु पत्रावली का अवलोकन करने से दर्शित है कि परिवादी ने अपने और अभियुक्त के मध्य हुए लेनदेन एवं अभियुक्त द्वारा परिवादी को चैक दिये जाने के सम्बन्ध में एकमात्र साक्षी विरेन्द्र सरपंच को न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित नहीं करवाया है।

14. इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 138 एन.आई.एक्ट. में पालना में जब तक अभियुक्त को चैक अनादरण होने का नोटिस प्राप्त नहीं होता, तब तक धारा 138 एन.आई.एक्ट की पूर्ण पालना नहीं मानी जाती। हस्तगत प्रकरण में भी

परिवादी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि नोटिस मनीराम की घरवाली को मिला था। किंतु मनीराम की घरवाली के नाम के संबंध में कोई कथन नहीं किये है। पत्रावली में संलग्न ए.डी. प्रदर्शपी. 06 का अवलोकन करें तो उस पर रजनीदेवी के हस्ताक्षर है। ऐसी दशा में यह भी प्रकट होता है कि परिवादी द्वारा चैक अनादरण बाबत् भेजा गया नोटिस अभियुक्त को प्राप्त नहीं हुआ, जिसकी स्वीकारोक्ति स्वयं परिवादी के कथनों से हुई है। ऐसी दशा में धारा 138 एन.आई.एक्ट की पूर्ण पालना परिवादी द्वारा नहीं की गई है। अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रथमतः परिवादी अपने पक्ष में अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से किसी प्रकार की अभियुक्त के विरुद्ध उपधारणा को सृजित करने में असफल रहा है, द्वितीय विधिक नोटिस की तामील अभियुक्त पर नहीं होने से परिवादी द्वारा धारा 138 एन.आई. एक्ट की शर्तों की पालना भी नहीं की गई है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन–विश्लेषण के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 एन आई एक्ट का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। लिहाजा अभियुक्त को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन आई एक्ट के तहत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

15. अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार परिवादी अपने पक्ष में अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से किसी प्रकार की अभियुक्त के विरुद्ध उपधारणा को सृजित करने में असफल रहा है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन–विश्लेषण के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 एन आई एक्ट का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। लिहाजा अभियुक्त को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन आई एक्ट के तहत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

16. निष्कर्षतः अभियुक्त मनीराम पुत्र गणपतराम, निवासी–बनवाली, तहसील–सादुलशहर, जिला–श्रीगंगानगर को अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित घोषित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा पूर्व में प्रस्तुत हाजरी बाबत जमानत मुचलके तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाते हैं।

अपील की अपेक्षा के अध्याधीन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(क) के अंतर्गत अभियुक्त, माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने हेतु राशि 10000/- रूपये का व्यक्तिगत् बंध-पत्र एंव इसी राशि की एक प्रतिभू, इस न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

(मीना गहलोत)

17. निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा वितृत न्यायालय में लिखाया व सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया।

(मीना गहलोत)